

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी लालगंज— आजमगढ़

पत्र संख्या एफ.एस. मेमो - नि/2015

दिनांक 28/05/2015

सेवा में,


प्रबंधक/प्रधानाचार्य

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस
महाविद्यालय देवगाँव
जनपद—आजमगढ़

विषय:- आपके शिक्षण संस्थान में अग्नि शमन व्यवस्था व निरीक्षण किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषय के सम्बंध में आपके शिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया गया तो विद्यालय में स्थापित अग्नि शमन यंत्र/उपकरण कार्यशील दशा में पाया गया व एन0वी0सी0 2005 भाग 4 टेबुल-23 के प्राविधानित शर्तों के अनुरूप अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी तथा शिक्षण संस्थान में उपस्थित स्टाफ, छात्र एवं छात्राओं को अग्नि शमन उपकरणों को प्रयोग करने की जानकारी दी गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विहित फीस राजकीय कोष में जमा करते हुए उपकरणों का वार्षिक नवीनीकरण व सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखें।


अग्नि शमन अधिकारी
लालगंज— आजमगढ़

लालगंज— आजमगढ़

प्रतिलिपी-

बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को सादर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सत्यापित

उपाध्यक्ष
प्राचार्य
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगाँव- आजमगढ़



Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of Higher Education

Statistics Division

New Delhi

Certificate



Reference No. C-15831-2013

This is to certify that SANTOSH YADAV of Neta Ji Subhash Chandra Bose Mahavidyalaya, Deogaon, Azamgarh has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education (AISHE) 2013-2014.

(B N Tiwari)

Deputy Director General

Dated: 23/06/2015

सत्यापित

आमंत्रित
प्राप्त

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगाँव- आजमगढ़

ALL INDIA SURVEY ON HIGHER EDUCATION

**DATA CAPTURE FORMAT - II
COLLEGES / INSTITUTIONS
AFFILIATED/ RECOGNISED BY THE UNIVERSITY**

YEAR: 2013 - 2014

As on 30th September 2013



**Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
New Delhi**

सत्यापित

आशुकर यादव
प्राचार्य
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगँव- अजमगढ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

आजमगढ़

पत्रांक- लो०नि०वि०/270 dated 20/8/2014

दिनांक- 20/8/2014

सेवा में,

प्रबन्धक,

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस


महाविद्यालय देवगाँव,

आजमगढ़


विषय:- नेशनल विल्डिंग कोड 2005 के मानकानुसार महाविद्यालय का भवन निर्माण होने का प्रमाण पत्र देने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 68 दिनांक-10.08.2014

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि सहायक अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार महाविद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप है। निर्माण की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है।


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
आजमगढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
आजमगढ़




प्राचार्य

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगाँव- आजमगढ़

57040100339

ग्राम का नाम : सैवर मलिकपुर
आजमगढ़ फसली वर्ष : 1416-1421

परगना देवगौज
भाग : 1

सहसाल : ललनाज

खतना क्रम संख्या	खतेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	धार्मिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतेदार द्वारा देर मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संसाराण उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1				3	4	5	6	7-12	13

कुल गाटे : 1 कुल क्षेत्र : 3.4370

32545D

सभा आदेश हुआ कि मौजा सैवरमलिकपुर परगना देवगौज तहसीलललनाज के गाटा सं0109मि/1.146हे0 मुमि अकथिक धारित की जाती है। धारा 143 नो0वि0 अर्थ0 ह0र का 12-12-12 5/5

हस्ताक्षर
[Signature]
[Stamp]

हस्ताक्षर

आजमगढ़
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रशासनालय
देवरगढ़- आजमगढ़

उद्धरण खतौनी

परगना देवगाँव तहसील : लातरांज

ग्राम क्रमांक : 57040100339 ग्राम का नाम : सैवद मलिकपुर

जनपद : आजमगढ़ फसली वर्ष : 1416-1421

भाग : 1

खता खतौनी	खतेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खतेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगाना	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संशोधन संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	दिपणी
1				3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरा के अधिकार में हो।

00091	शमसुद्दीन कमरुद्दीन अब्दुल हसन फैजुल हसन दानिश अनी नेता जी सुबाष चन्द्र बांस	इब्राहीम इब्राहीम इब्राहीम इब्राहीम	बसही बसही बसही बसही	1398रु	109	3.4370			
-------	--	-------------------------------------	---------------------	--------	-----	--------	--	--	--

1416रु न्याया0नर0लानाज मु0न055423-03-09 को आदेश हुआ कि आ0न0109/3.437हे0मा05.95रु से कमरुद्दीन पुत्र इब्राहिम सा0बसही का नाम खारिज करने शर्जिता जी सुबाष चन्द्र बांस महाविद्यालय देवगाँव आजमगढ़ द्वारा संस्थापक रामअवतार सिंह यादव का नाम बतौर सह स0भू0दर्ज हो। बेनामा 490,000/र0र का 4-04-08 आर-6क्र03-1419रु आस्थानुसार श्रीमान र0नि0महेरद देवगाँव जरिये प का 1ख /16-01-12 को आदेश हुआ कि मुदक शमसुद्दीन के स्थान पर फिरोज अख्तर व असलम व आफरोज पुत्राण शमसुद्दीन व समीमुनीनशा पत्नी रूब0 शमसुद्दीन का नाम बतौर करिय दर्ज हो।

ह0र0क्र0 17-01-12 आर-6-2-1420रु न्याया0नर0लानाज मु0न01076/ 20-07-12 को आदेश हुआ कि आ0न0109/3.437 हे0मा05.95रु से फैजुल हसन पुत्र इब्राहिम सा0बसही का नाम खारिज करके इमलाक अहमद पुत्र शब्बीर अहमद सा0सलहर का नाम शेष खतेदारों के साथ सह स0नू0 दर्ज हो। बेनामा 700000 र0र का 1-08-12 आर-6-3-1420रु न्याया0त्रय निलीकारि महेरद लानाज मु0न06ता0क्र010-12-12 नेताजी सुभाषचन्द्र देवर महाविद्यालय देवगाँव आजमगढ़ द्वारा संस्थापक रामअवतार सिंह यादव पुत्र मातबर सिंह बनाम गांव

दास्तावेज

3-11-92/2750/

नेताजी सुभाष चन्द्र बांस कोरी महाविद्यालय देवगाँव-आजमगढ़



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर


पत्रांक-


/पू०वि०वि०/यू.एफ.एम./2015


दिनांक- 30-01-2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगाँव- आजमगढ़, वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 की परीक्षा में सागूहिक नकल के आरोप में
 आरोपित नहीं है।


 कार्यालय सहायक


 प्रभारी


 परीक्षा नियंत्रक
 परीक्षा नियंत्रक
 वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
 जौनपुर

सत्यमेव जयते

उमाशंकर प्रसाद
 प्राचार्य
 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
 देवगाँव- आजमगढ़

संख्या -

349
10/5/11



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

पत्रावली संख्या जी-38878

नवीनीकरण संख्या-230/2011-2001

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्वयं सेवा समिति

ग्राम- तुरा बाजार जंगल औराही, तहसील- सदर, जनपद- गोरखपुर, उ० प्र०।

को दिये गये जिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या- 1434/2005-2006

दिनांक 03/03/2006 को दिनांक 03/03/2011 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए

नवीनीकृत किया गया है।

1200.00 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक- 10.05.2011

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

सत्यापित

उमा शंकर यादव
प्राचार्य

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगँव- आजमगढ़



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय

(सम्बद्ध - वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर)
देवगांव - आजमगढ़

प्रत्रांक.....

दिनांक 10-12-2014

सेवा में,

कुल सचिव,

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर।

विषय:- सत्र 2013-14 के परीक्षाफल के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति में महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित कमियों में सत्र 2013-14 का परीक्षाफल संलग्न नहीं है के सम्बन्ध में सत्र 2013-14 का परीक्षाफल का संलग्नक का विवरण निम्न है-

बी.ए. भाग	सत्र	पंजीकृत	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	परीक्षाफल प्रतिशत में
स्क	2013-14	265	236	23	89.05%
दो	2013-14	413	403	5	97.57%
तीन	2013-14	195	190		96%

website-www.nscbdegreecollege.com

Email- nsbosh555@gmail.com

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगांव- आजमगढ़
Mob.: 8004606790, 9451683223

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2014

विषय: महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-पू.वि.वि./सम्बद्धता/01-97(एक)/2014/7521 दिनांक 01-06-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के अधीन नेता जी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, देवगाँव, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01-07-2014 से निम्नलिखित कमियों की पूर्ति की शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों यथा राजनीतिशास्त्र, संस्कृत एवं गृह विज्ञान विषयों में वर्तमान शासनादेश एवं यू०जी०सी० विनियम 2010 में निर्धारित अर्हतानुसार प्रवक्ता अनुमोदित नहीं है, आवेदनपत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का शपथपत्र प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन को सम्बोधित मूलरूप में संलग्न नहीं है, एन०बी०सी० का प्रमाणपत्र अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत नहीं है, सत्र 2013-14 का परीक्षाफल संलग्न नहीं है, से सम्बन्धित कमियों की पूर्ति कर ली जायेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब. 1087(1)/सत्तर-6-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. प्रबन्धक, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, देवगाँव, आजमगढ़।
5. विभागीय आदेश पुस्तिका।

30/6/14 2/14
प्रचार्य
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगाँव- आजमगढ़

आज्ञा से,
(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AA 308953

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्मृति सेवा समिति
 ग्राम - लुनी बजार जंगल डोराही लखन अक्षर
 गोरखपुरा
 जिला 230878
 त्रिपुमावली



हस्ताक्षर

31/3/06

उभासंकर भांडव
 प्राचार्य
 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
 देनापैत- अम्बमगढ

स्मृति-पत्र

- 1- समिति का नाम : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्वयं सेवा समिति
- 2- समिति का पता : ग्राम-तुरा बाजार, जंगल औराही, तहसील-सदर,
जनपद- गोरखपुर।
- 3- समिति का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ०प्र०।
- 4- समिति के उद्देश्य :

S. K. Sharma

उदय प्रसाद

Ram Samujh

आशीष कु.

Vishnu Y.

Ranaj Yadav

Anand Yadav

Harid.

कृष्ण यादव

बहादुर

सुखमणि

राज-२

- समाज के सभी वर्गों के बालक/बालिकाओं के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्यालयकी स्थापना करना व संचालन करना। नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं सभी भाषाओं के शिक्षण समुचित व्यवस्था करना।
- समाज के गरीबों व अशहाय वर्गों के लिये छात्रवृत्ति व पुस्तकीय सुविधा प्रदान करना।
- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई व टाइपिंग एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर ग्रामीण युवक व युवतियों को आत्म निर्भर बनाना। पर्यावरण, दहेज, नशा उन्मूलन तथा एड्स से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम चलाना एवं सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों व अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करना।
- विकलांगों व मूकबधिरों के उत्थान के लिये कार्यक्रम चलाना एवं विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना।
- दैवीय आपदाओं के समय सरकार व जनता की मदद करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ व पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था करना।
- विश्व शांति व मानवता के लिए कार्य करना तथा उसको सफल बनाना।
- समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार करना।

समाजिक कार्यकर्ता
सुभाष चन्द्र बोस स्वयं सेवा समिति
गोरखपुर

उमरल पट्ट
प्राचार्य
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवरॉन- आजमगढ़



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AA 308952

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्वयं सेवक समिति
ग्राम - लुरी बाजार जंगल कोशरी तहसील - लखीमपुर
जिला - गोरखपुर जी.पी. 308788
संस्कृत-चल



हाथ/44

31/3/06

31/3/06
ग्राचार्य
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवरगँव - आजमगढ़

कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-सम्ब0 1087/सत्तर-6-2014-2 (1020)/2014, दिनांक-23 जून,2014 की टंकित प्रति:-

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-पू.वि.वि./सम्बद्धता/01-97(एक)/2014/7521, दिनांक-01.06.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन नेता जी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, देवगँव, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम के हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र इतिहास, गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक-01.07.2014 से निम्नलिखित कमियों की पूर्ति की शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी. में इंगित समस्त कमियों यथा राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, एवं गृहविज्ञान विषयों में वर्तमान शासनादेश एवं यू0जी0सी0 विनियम 2010 में निर्धारित अर्हतानुसार प्रवक्ता अनुमोदित नहीं है, आवेदनपत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का शपथपत्र प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित मूलरूप में संलग्न नहीं है, एन0बी0सी0 का प्रमाणपत्र अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत नहीं है, सत्र 2013-14 का परीक्षाफल संलग्न नहीं है, से सम्बन्धित कमियों की पूर्ति कर ली जायेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

ह0/-

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)

अनु.सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

आदेश

अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0-1087/सत्तर-6-2014-2 (1020)/2014, दिनांक-23 जून,2014 के प्रस्तर-1 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, देवगँव, आजमगढ़ द्वारा निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी. में इंगित कमियों यथा राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, एवं गृहविज्ञान विषयों में वर्तमान शासनादेश एवं यू0जी0सी0 विनियम 2010 में निर्धारित अर्हतानुसार प्रवक्ताओं के अनुमोदन, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र जिसमें अंकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित है, अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत एन0बी0सी0 का प्रमाणपत्र के आलोक में एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर बी0ए0 पाठ्यक्रम के हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र इतिहास, गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में शैक्षिक सत्र 2013-14 का परीक्षाफल शासनादेशानुसार 60 प्रतिशत से अधिक होने की पुष्टि के फलस्वरूप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित विषयों में दिनांक-01.07.2014 से सम्बद्धता प्रदान किया जाता है।

सत्पापित

ह0/-

आज्ञा रंजन
प्राचार्य

प्रो.(पियूष रंजन अग्रवाल)

कुलपति

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय दिनांक-18.03.2015
देवगँव- आजमगढ़